

राजस्थान सरकार  
नगरीय विकास विभाग

प. 5/8/नविवि/3/99

जयपुर, दिनांक 16.2.2002

परिपत्र

इस विभाग के समस्त व्यवक परिपत्र दिनांक 26.5.2000 में नगर विकास न्यात/प्राधिकरण/स्थानीय निकायों की अवाप्त या अवाप्ताधीन भूमि जिनमें औद्योगिक रूप से मुहूर्त काट कर देव दिये गये हैं तथा जिन पर अज्ञात या तपन रूप से भवन निर्माण हो गये हैं में नियमन का निर्णय करने का अधिकार स्थानीय निकायों को दिया गया है। परिपत्र में अवाप्ताधीन भूमियों में जिनमें मुआवजे का भुगतान कर दिया है अथवा भुगतान किया जाना शोष है में भी अलग-अलग दरों का प्रावधान किया गया है।

पुकरण पर समग्रता से विचार करने पर यह पाया गया कि चूंकि भूमि अवाप्ताधीन नियमन के अन्तर्गत 4 एवं 6 की अधिसूचना राज्य सरकार के द्वारा न्यात/स्थानीय निकायों के निवेदन पर जारी की जाती है तथा अवाई की स्वीकृति भी राज्य सरकार के द्वारा ही दी जाती है ऐसी स्थिति में प्राधिकरण/न्यात/स्थानीय निकाय द्वारा अपने स्तर पर अवाप्त या अवाप्ताधीन भूमियों का नियमन का निर्णय लेना उचित नहीं है। अतः यह निर्देश दिये जाते हैं कि प्राधिकरण/न्यात/स्थानीय निकायों की अवाप्त या अवाप्ताधीन भूमि में अज्ञात, रिक्त भूमि या तपन निर्माण होने की दशा में उनके नियमन का प्रस्ताव उनके द्वारा लेने पर राज्य सरकार से अनुमति प्राप्त कर उनके द्वारा किया जा सकेगा। किन्तु यदि निर्माण 50% से अधिक भूमि पर है तो न्यात/प्राधिकरण या स्थानीय निकाय अपने स्तर पर निर्णय कर सकेंगे।

राज्य सरकार को अधिकार होगा कि जिन अवाप्ताधीन भूमियों पर प्राधिकरण/न्यात/स्थानीय निकायों के द्वारा काफी समय से योजना न तो बनाई गई है और अगर योजना बना दी है तो उसे नियमित नहीं किया गया है तो ऐसी भूमियों पर राज्य सरकार सार्वजनिक या भूमियारक के प्राप्ति पर गुणा व शोष देखी हुए नियमन का आदेश दे सकेंगी।

सरकारी समिति की किसी योजना में राजकीय भूमि आ जाने पर उसके नियमन का प्रावधान है। इसे स्पष्ट किया जाता है कि यदि योजना में शामिल राजकीय भूमि 2 बीघा तक है तो उक्त नियमन स्थानीय निकाय/न्यात/जयपुर विकास प्राधिकरण कर सकेगी 2 बीघा से अधिक भूमि होने या उसके नियमन हेतु राज्य सरकार की स्वीकृति लेनी होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

16.2.2002  
§ एच. एन. शारदा §  
उप सचिव

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सुचनाएं एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा है :-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।

2. विशिष्ट सहायक माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, राज० जयपुर ।
3. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री नगरीय विकास विभाग, राज० जयपुर ।
4. शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राज० जयपुर ।
6. तमस्त संभागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर, राजस्थान ।
7. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर को पृथित कर लेख है कि इस आदेश की प्रतिलिपि तमस्त नगर निगम/परिषद/पालिका को अपने स्तर में भिजवाने का धम करें ।
8. तमस्त नगर विकास न्यास,
9. रक्षित पत्रावली ।

16.2.02  
उप शासन सचिव.